झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश 30 / 19/4/21

विषय :– COVID- 19 Pandemic के कारण लोक निर्माण कार्य के प्रगतिशील योजनाओं के कार्यावधि के विस्तार के संबंध में।

झारखण्ड सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेश सं०– 98 / HSN, दिनांक– 22.03.2020 द्वारा COVID- 19 के संभाव्य प्रसार को देखते हुए झारखण्ड में इसके प्रसार को रोकने के उद्देश्य से पूर्णतया तालाबंदी (lock down) की घोषणा की गई एवं सभी प्रकार के निर्माण कार्यों को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया। साथ ही सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रोक लगाई गई।

इस प्रकार दिनांक– 22.03.2020 से निर्माण कार्यों पर पूर्णतः रोक लगाया गया था।

2. COVID- 19, Pandemic के कारण हुए lockdown से संरचना विकास के क्षेत्र (Infrastructure development) में कठिनाई उत्पन्न हुई है। संवेदकों के द्वारा विभाग का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है।

3. सम्यक विचारोपरांत संवेदकों एवं परामर्शियों को COVID- 19 Pandemic के कारण हुए lockdown जिसका प्रभाव Supply chain, access to labour and manpower पर पड़ा है, से संवेदकों, परामर्शियों को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से निम्न निर्णय लिया जाता है :–

I. सभी Continuing असैनिक निर्माण कार्य (Civil works) Contract एवं संबंधित परामर्शियों (Consultants) को अपने दायित्व निर्वहन हेतु छः (6) महीने का अवधि विस्तार (Extension of time) दिया जाता है।

II. यह उन्हीं Contracts के लिए लागू होगा जिसका date of completion 23- March 2020 के बाद की अवधि का है।

III. उपरोक्त कण्डिका– II में वर्णित Date of Completion का ताप्तर्य है :–

a) Date of completion as per असैनिक निर्माण कार्य (Civil Works) के Contract.
b) यदि पूर्व में अवधि विस्तार की गई हो तो उसके अनुसार Date of Completion.

उपरोक्त दोनों तिथि यदि 23 March- 2020 के बाद की अवधि है तभी संबंधित असैनिक निर्माण कार्य (Civil Works) के Contract के अवधि विस्तार की पात्रता (eligibility) होगी।

IV. यह अवधि विस्तार वैसी प्रगतिशील (Continuing) योजनाओं पर होगा जिसका वित्त पोषण राज्य सरकार के Plan/Capital/DMFT/JJM/Welfare (योजना / पूंजीगत / जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट / जल जीवन मिशन / कल्याण विभाग से संबंधित योजनायें) एवं अन्य मदों के अन्तर्गत हो रहा है।

V. दिनांक– 23.03.2020 के बाद छः (6) महीने की समय वृद्धि (Extension of time) एक मुश्त दी जायेगी। इस समयवृद्धि का आदेश अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।

VI. यह अवधि बिस्तार बिना Price Adjustment के विस्तारित किया जायेगा। यानि Price Adjustment की तिथि, यदि लागू हो, तो यह योजना के समापन की मूल तिथि तक (Date of Completion as per असैनिक निर्माण कार्य (Civil Works) Contract) ही सीमित होगी। इसका मूल उद्‌देश्य बिना किसी आर्थिक दण्ड के कार्य के समापन हेतु समयवृद्धि का है।

4. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(स्वेताभ कुमार)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक :– 7/विविध– 01–14/2020– 603 **राँची, दिनांक :–** 19/2/21
प्रतिलिपि :– मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

2. माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

(स्वेताभ कुमार)
अभियंता प्रमुख।
19/2/21

19.02.2021